

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड

3. महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड का गठन और संरचना ।
4. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं ।
5. कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाना ।
6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।
7. हित का प्रकटन ।
8. सदस्यों का त्यागपत्र ।
9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना ।
10. सदस्यों को संदेय फीस और मानदेय ।
11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य ।
12. बोर्ड की बैठकें ।
13. समितियों की नियुक्ति ।
14. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
15. रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।
16. नियुक्तियां करने की शक्ति ।

अध्याय 3

प्रबंधन और प्रशासन

क. महापत्तन प्राधिकरण का कर्मचारिवृंद

17. बोर्ड के कर्मचारिवृंद की सूची ।

ख. संपत्ति और संविदाएं

18. बोर्ड को महापत्तन न्यासी बोर्ड के उत्तरवर्ती के रूप में समझा जाना ।
19. बोर्ड द्वारा संपत्ति, आस्तियों आदि का उपयोग ।
20. प्रक्रिया जब स्थावर संपत्ति का किसी करार द्वारा अर्जन नहीं किया जा सकता है ।
21. बोर्ड द्वारा संविदाएं ।

ग. योजना और विकास

22. योजना और विकास के संबंध में बोर्ड की शक्तियां ।

घ. दरों का अधिरोपण

23. महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों का परिमाण ।
24. बोर्ड का दरों के लिए धारणाधिकार ।

खंड

25. पोट के स्वामी का मालभाड़े और अन्य प्रभारों के लिए धारणाधिकार ।
26. माल विक्रय और कतिपय मामलों में विक्रय आगत का उपयोग ।
27. महायोजना ।
28. जलयानों के करस्थम् द्वारा दरों और प्रभारों की वसूली ।
29. न्यायनिर्णायिक बोर्ड को आवेदन ।

अध्याय 4

महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में शक्तियां

क. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की वित्तीय शक्तियां

30. ऋण इकट्ठा करने और प्रतिभूतियां देने की शक्ति ।
31. पृष्ठांकनों का स्वयं प्रतिभूति पर किया जाना ।
32. प्रतिभूति को पृष्ठांकित करने वाले व्यक्ति का उसकी रकम के लिए उत्तरदायी न होना ।
33. कतिपय मामलों में पत्तन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में मान्यता और उसके विधिक प्रभाव ।
34. कतिपय मामलों में उन्मोचन ।
35. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों के लिए प्रतिभूति ।
36. बोर्ड की नियत तारीख से पूर्व सरकार को ऋण चुकाने की शक्ति ।
37. शोधन निधि का स्थापन और उपयोग ।
38. विद्यमान ऋणों और प्रतिभूतियों का जारी बने रहना ।

ख. महापत्तन प्राधिकरणों के साधारण खाते

39. बोर्ड के साधारण खाते ।
40. साधारण खातों में रखे गए धन का उपयोग ।

ग. लेखा और संपरीक्षा

41. लेखा और संपरीक्षा ।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार का पर्यवेक्षण

42. प्रशासन रिपोर्ट ।
43. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के कार्यों का सर्वेक्षण या उसकी परीक्षा करने का आदेश करने की शक्ति ।
44. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड की लागत पर कार्यों का प्रत्यावर्तन या उन्हें पूरा करने की शक्ति ।
45. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की शक्ति ।
46. रिपोर्ट का रखा जाना ।
47. पत्तन आस्तियों का उपयोग करने की बाध्यता से छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
48. बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किन्हीं आस्तियों, सम्पत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या निर्निहित न किया जाना ।
49. बोर्ड को दिए गए ऋणों के संबंध में सरकार के उपचार ।
50. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

अध्याय 6

न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन

51. न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन और उसके कृत्य ।

अध्याय 7

शास्तियां

52. अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध ।

खंड

53. कंपनियों द्वारा अपराध ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

54. अपराधों का संज्ञान ।
55. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
56. प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।
57. बोर्ड के परिसरों से कतिपय व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति ।
58. वाद द्वारा अनुकल्पी उपचार ।
59. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और बोर्ड द्वारा अवसंरचना का विकास ।
60. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
61. पत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की विनियम बनाने की शक्ति ।
62. नियमों और विनियमों का रखा जाना ।

63. निरसन और व्यावृत्तियां ।
64. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
65. संक्रमणकालीन उपबंध ।

2016 का विधेयक संख्यांक .

[दि मेजर पोर्ट अथोरिटीज़ बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए महापत्तन प्राधिकरणों के गठन तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) प्रथमतः यह चेन्नई, को कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलौर, मोरमुगाव, पारादीप, वीओ चिदम्बरानार और विशाखापट्टनम महापत्तनों और ऐसे अन्य महापत्तनों को उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, लागू होगा।

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।

परिभाषाएं।

- (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “न्यायनिर्णायिक बोर्ड” से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 50 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक महापत्तन के लिए गठित महापत्तन प्राधिकरणों का बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए “पूँजी आरक्षिती” से धारा 39 की उपधारा (1) में उपवर्णित आरक्षितियों को छोड़कर राजस्व का कुल योग और पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में बोर्ड की चालू आस्तियों का मूल्य

अभिप्रेत होगा ;

(घ) “अध्यक्ष” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) “डॉक” में सभी बेसिन, लॉक, कट, प्रवेश, ग्रेविन्ग डॉक, ग्रेविन्ग ब्लॉक, इन क्लाइंड प्लेन्स, स्लिपवेज, ग्लिडआयरन्स, मुरिन्स, ट्रांजिट-शेड, वेयर हाऊस, ट्रामवेज, रेलवे और अन्य संकर्म और चीजें सम्मिलित हैं, जो किसी डॉक से संबद्ध हैं और इसके अंतर्गत किसी बंदरगाह की आर्म या पुलीन रोध भी हैं ;

(च) महापत्तन के संबंध में “अबरी” से उस महापत्तन के संबंध में उच्च जल चिह्न और निम्न जल चिह्न के बीच का क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(छ) “माल” के अंतर्गत पशु धन और प्रत्येक किस्म की जंगम संपत्ति है ;

(ज) “गंभीर आपात” से केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें बोर्ड समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और इसके अंतर्गत राजद्रोह, कार्य का निष्पादन न करना, अविधिमान्य और अविधिपूर्ण कार्रवाई उपेक्षा और वित्तीय दुर्विनियोग अभिप्रेत है ;

(झ) किसी महापत्तन के संबंध में “उच्च जल चिह्न” से उस महापत्तन पर ऐसे निम्नतम बिन्दुओं के, जहां तक वर्ष की किसी भी ऋतु में सामान्यतः ज्वार भाटे द्वारा जल पहुंचा था, माध्यम से खींची गई रेखा अभिप्रेत है ;

(ञ) “स्थावर संपत्ति” के अंतर्गत घाट भाड़ा अधिकार, किसी भूमि, घाट, डॉक या प्रस्तंभ के संबंध में उस पर या उसमें प्रयोज्य सभी अन्य अधिकार हैं ;

(ट) “स्वतंत्र सदस्य” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ठ) “भारतीय पत्तन अधिनियम” से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 अभिप्रेत है ;

(ड) “भूमि” के अंतर्गत उच्च जल चिह्न के अधीन सागर या नदी तल और पृथ्वी से उपाबद्ध सभी चीजें या पृथ्वी से उपाबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से बांधी गई चीजें सम्मिलित हैं ;

(ढ) किसी महापत्तन के संबंध में “निम्न जल चिह्न” से उस महापत्तन पर ऐसे निम्नतम बिन्दुओं के, जहां तक वर्ष की किसी भी ऋतु में सामान्यतः ज्वार भाटे द्वारा जल पहुंचा था, माध्यम से खींची गई रेखा अभिप्रेत है ;

(ण) “महापत्तन” या “महापत्तन प्राधिकरण” से भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 3 के खंड 8 में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है ;

(त) किसी महापत्तन के संबंध में “महापत्तन पहुंच” से नाव्य नदियों और धाराओं के वे भाग अभिप्रेत हैं, जो किसी महापत्तन हो जाते हैं, जिन पर भारतीय पत्तन अधिनियम लागू होता है ;

(थ) महापत्तन का उपयोग कर रहे किसी जलयान या किसी वायुयान के संबंध में “मास्टर” से सिवाय पायलट, बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर, डॉक मास्टर या घाट मास्टर के, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय, यथास्थिति, ऐसे जलयान या ऐसे वायुयान का प्रभाव या नियंत्रण है ;

(द) “सदस्य” से धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ध) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(न) “स्वामी” में,—

(i) किसी वस्तु के संबंध में ऐसी वस्तुओं के विक्रय, अभिरक्षा, लदाई या उतराई के लिए कोई समनुदेशक, समनुदेशिती, माल भेजने वाला या अभिकर्ता सम्मिलित है ; और

(ii) किसी महापत्तन का उपयोग करने वाले किसी जलयान या किसी वायुयान के संबंध में उन पर उनका कब्जा रखने वाला कोई आंशिक स्वामी, चार्टर करने वाला, समनुदेशिती या बंधकदार है ;

(प) “प्रस्तंभ” के अंतर्गत कोई स्टेज, सीढ़ियां, उतरने का स्थान, हार्ड, जेट्टी, पल्वमान बैरेज, वाहानांत्रक या पोन्टून और कोई अन्य पुल या उससे संबद्ध अन्य संकर्म सम्मिलित हैं ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए “वाहानांत्रक” पद से कोई पल्वमान यान या जलयान अभिप्रेत है, चाहे डम्ब या स्वनोदित हो, जिस पर किसी बैराज या घाट से स्थोरा को निकालने और उसकी किसी पोत पर लदाई के लिए गियर उपलब्ध कराए गए हैं ;

(फ) “पत्तन आस्तियां” से पत्तन सीमाओं के भीतर कोई आस्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत भूमि, जंगम या स्थावर संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति सम्मिलित है चाहे मूर्त या अमूर्त हो, बोर्ड के स्वामित्व में हो या यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से बोर्ड में निहित हो ;

(ब) किसी महापत्तन के संबंध में “पत्तन सीमाओं” से वे सीमाएं अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत कोई प्रस्तंभ, जेट्टियां, उतरने के स्थान, घाट, बाँध और यातायात की सुविधा के लिए जनता के निमित्त जलयानों की सुरक्षा के लिए या महापत्तन के सुधार, अनुरक्षण या अच्छे शासन के लिए बनाए गए अन्य संकर्म और उनमें निजी संपत्ति के अधिकार के अधीन रहते हुए उच्च जल चिह्न से पचास गज के भीतर तट या किनारे का कोई भाग तथा ऐसे महापत्तन का क्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से अवधारित किया जाए, सम्मिलित है ;

(भ) “पत्तन प्रतिभूति” से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संविदा किए गए किसी ऋण के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी डिबेंचर, बंधपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्र अभिप्रेत हैं, जिनके संदाय के लिए बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दायी हैं ;

(म) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(य) “पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना” से महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा राजस्व या स्वामित्व प्रभाजन के आधार पर धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी छूट संविदा के माध्यम से हाथ में ली गई परियोजनाएं अभिप्रेत हैं ;

(यक) “दर” के अंतर्गत कोई टोल, देय, भाटक, दर, फीस या इस अधिनियम के अधीन उद्घृणीय प्रभार सम्मिलित हैं ;

(यख) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(यग) “जलयान” के अंतर्गत मानव या वस्तुओं के जल द्वारा वहन के लिए बनाई गई कोई चीज और बारूद पेटी सम्मिलित है ;

(यघ) “घाट” के अंतर्गत कोई दीवार या स्टेज और भूमि या अबरी का कोई भाग सम्मिलित है, जिसका उपयोग वस्तुओं की लदाई या उतराई के लिए या यात्रियों को चढाने या उतारने के लिए किया जाता है और उसको बंद करने वाली या उससे संलग्न कोई दीवार सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और पद, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं और जो पत्तन अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड

महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड का गठन और संरचना ।

3. (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अधिसूचना द्वारा प्रत्येक महापत्तन के संबंध में उस पत्तन के लिए, महापत्तन प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष ;

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक में से एक सदस्य—

(i) संबंधित राज्य सरकार, जिसमें महापत्तन स्थित है ;

(ii) रेल मंत्रालय ;

(iii) रक्षा मंत्रालय ; और

(iv) सीमा-शुल्क, राजस्व विभाग ;

(घ) तीन से अन्यून और चार से अनधिक स्वतंत्र सदस्य ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निदेशक से अन्यून पंक्ति का एक सदस्य, पदेन ;
और

(च) महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य ;

परंतु महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के गठन तक महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन गठित न्यासी बोर्ड कार्य करना जारी रखेगा और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गठन के तुरंत पश्चात् विद्यमान

नहीं रहेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड एक स्थायी निकाय होगा। जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

4. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, से मिलकर बनने वाली खोजबीन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) में यथावर्णित बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पोतपरिवहन, समुद्र, प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून व्यावसायिक अनुभव और पर्याप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(3) स्वतंत्र सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति, वे होंगी, जो विहित की जाए।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों में से की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार की राय में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम हैं।

(5) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उसके नामनिर्देशन या नियुक्ति के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपनी सहमति और एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह ऐसा पद धारण करने के लिए निरर्हित या अपात्र नहीं है।

5. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा या उस रूप में सदस्य नहीं बना रहेगा, यदि—

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) वह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(ग) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(घ) वह महापत्तन प्राधिकरण या उस प्राधिकरण के बोर्ड में लाभ का पद या कार्यशील अध्यक्ष का पद धारण करता है ; या

(ङ) उसने धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन मिथ्या घोषणा की है ; या

(च) उसे महापत्तन प्राधिकरण, सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय से सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(छ) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्हित करने का कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश लागू है।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद के सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् जांच के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा उसके साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने के आधार के केंद्रीय सरकार के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कि सदस्यों को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई है या लंबित है, केंद्रीय सरकार द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित करने तक निलंबित कर सकेगी।

6. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, अपना पद धारण करेंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन किसी पद के कारण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति बोर्ड का तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करना जारी रखता है।

(3) स्वतंत्र सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी

बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं।

कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाना।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई स्वतंत्र सदस्य दो लगातार पदावधियों से अधिक पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि कोई स्वतंत्र सदस्य तीन वर्ष की उक्त कालावधि के दौरान किसी महापत्तन प्राधिकरण में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उससे किसी अन्य क्षमता में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहबद्ध नहीं होगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

हित का प्रकटन ।

7. केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परंतु जहां कोई सदस्य ऐसा पद धारण करने के समय इस प्रकार संबंधित या हितबद्ध नहीं है, यदि वह पश्चात्तवर्ती रूप से संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है तो वह अपने संबद्ध या हित का संबद्ध या हितबद्ध होने के तुरंत पश्चात् या उसके इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध होने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की प्रथम बैठक में प्रकटन करेगा और तुरंत त्यागपत्र देगा ।

सदस्यों का त्यागपत्र ।

8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सरकार को अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने के पश्चात् यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना ।

9. केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा देगी यदि वह—

(क) धारा 5 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है ; या

(ख) केंद्रीय सरकार की राय में उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी या चयन किया गया था ; या

(ग) कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ; या

(घ) पूर्व में अभिप्राप्त बोर्ड की अनुज्ञा के बिना बोर्ड की छह लगातार साधारण बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(ङ) बोर्ड की बैठकों से छह सतत मास से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ; या

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य करता है ।

10. धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्यों को ऐसा मानदेय संदत्त किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

सदस्यों को संदेय फीस और मानदेय ।

11. अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को महापत्तन प्राधिकरण के कार्यों का संचालन करने के लिए साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त महापत्तन प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों के कृत्यों पर और ऐसे बोर्ड के लेखाओं और अभिलेखाओं से संबद्ध विषयों पर अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य ।

12. (1) बोर्ड ऐसे स्थान और समय पर बैठकें करेगा तथा अपनी बैठकों (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) में कारबार के संबन्धित के संबंध में ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

बोर्ड की बैठकें ।

(2) यदि अध्यक्ष किसी कारण से बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों—

(क) का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ;

(ख) से यथासंभवशीघ्र व्यवहार किया जाएगा और बोर्ड उनका निपटान आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर करेगा :

परंतु जहां ऐसे आवेदन का उक्त साठ दिन की कालावधि के भीतर निपटान नहीं किया जा सकता है तो बोर्ड उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

13. (1) बोर्ड समय-समय पर अपने सदस्यों में से और किसी अन्य व्यक्ति से उसके ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए समितियों का गठन कर सकेगा, जो ऐसी समिति को या समितियों को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

समितियों की नियुक्ति।

(2) इस धारा के अधीन गठित समिति या समितियां ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति है) के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित हों।

14. बोर्ड अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकेगा—

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्य या उसको अधिरोपित शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या निष्पादन अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकता है; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा और वे शर्तें और निर्बंधन, यदि कोई हों, जिनके अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा;

परंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी पर इस खंड के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

15. बोर्ड का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) ऐसे बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डाल रही है।

16. (1) किसी पद पर, चाहे अस्थायी या स्थायी हो, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति—

(क) किसी पद की दशा में—

(i) जिसके पदधारी को किसी विभाग का अध्यक्ष माना जाना है; या

(ii) जिस पर ऐसे पदधारी की नियुक्ति की जानी है; या

(iii) जिसका अधिकतम वेतनमान (भत्तों को छोड़कर) ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,

अध्यक्ष के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

(ख) किसी अन्य पद की दशा में अध्यक्ष या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु किसी व्यक्ति को किसी पद में पायलेट नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो तत्समय केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय पद अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस या किसी अन्य पद पर जलयानों को पायलेट करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

(2) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी पद को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके पदधारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष माना जाएगा।

अध्याय 3

प्रबंधन और प्रशासन

क. महापत्तन प्राधिकरण का कर्मचारिवृंद

17. बोर्ड प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा और उसमें कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड तथा उनको संदत्त किए जाने वाले प्रस्तावित वेतन, फीस और भत्तों को उपदर्शित करते हुए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

ख. संपत्ति और संविदाएं

18. बोर्ड के गठन की तारीख से ही—

(क) महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन गठित न्यासी बोर्ड का

रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

नियुक्तियां करने की शक्ति।

बोर्ड के कर्मचारिवृंद की सूची।

बोर्ड को महापत्तन न्यासी बोर्ड के उत्तरवर्ती के रूप में

(ख) न्यासी बोर्ड की सभी आस्तियां और दायित्व बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित होंगे ;

स्पष्टीकरण—न्यासी बोर्ड की आस्तियों में सभी अधिकारों और शक्तियों, सभी संपत्तियों, चाहे जंगम या स्थावर हो, जिसके अंतर्गत विशिष्टतः नकद शेष, जमा और उसमें या उससे उद्भूत सभी अन्य हित और अधिकार, ऐसी संपत्तियां, जो न्यासी बोर्ड के कब्जे में हों और सभी लेखाबहियां तथा उनसे संबंधित सभी अन्य दस्तावेज हैं, को सम्मिलित माना जाएगा और दायित्वों में सभी ऋणों, देनदारियों और बाध्यताओं, चाहे किसी भी प्रकार की हों, को सम्मिलित माना जाएगा ;

(ग) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी ऋण, बाध्यताएं और उद्भूत दायित्व तथा उस तारीख से तुरंत पूर्व न्यासी बोर्ड द्वारा उक्त न्यासी बोर्ड के प्रयोजन के संबंध में या उसके साथ की गई सभी संविदाओं को बोर्ड द्वारा किया गया या उसके साथ या उसके लिए किया गया समझा जाएगा ;

(घ) उस तारीख से ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड को देय सभी धनराशियां बोर्ड को देय समझी जाएंगी ;

(ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड द्वारा संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो बोर्ड द्वारा या बोर्ड के विरुद्ध संस्थित की जा सकती थी, को जारी रखा जाएगा या उनको बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जा सकेगा ;

(च) उस तारीख से ठीक पूर्व महापत्तन न्यासी बोर्ड के अधीन सेवा कर रहा प्रत्येक कर्मचारी बोर्ड का कर्मचारी बन जाएगा, वह उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर करेगा, जो वह उन शर्तों पर करता यदि बोर्ड की स्थापना नहीं की जाती और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक बोर्ड में उसके नियोजन का समापन नहीं कर दिया जाता या तब तक बोर्ड द्वारा उसकी पदावधि, परिलब्धियों या सेवा के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है :

परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की पदावधि, परिलब्धि और सेवा के निबंधन और शर्तों में उसके लिए अलाभप्रद रूप से केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

19. (1) प्रत्येक महापत्तन का बोर्ड उसकी संपत्ति, आस्तियों और निधि का ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का हकदार होगा, जो वह महापत्तन के फायदे के लिए उचित समझे।

बोर्ड द्वारा संपत्ति, आस्तियों आदि का उपयोग।

(2) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या केंद्रीय सरकार के माध्यम से बोर्ड में निहित सभी पत्तन आस्तियों का उपयोग और विकास नगरपालिक, स्थानीय या सरकारी विनियमों को छोड़कर इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु बोर्ड द्वारा भूमि या स्थावर संपत्ति का विक्रय या पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए चालीस वर्ष से अधिक के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति के पट्टे के लिए और धारा 22 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए बीस वर्ष से अधिक की कालावधि का पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा :

परंतु यह और कि बोर्ड द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति के पट्टे की अवधि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए अधिसूचित नीति के अधीन होगी।

(3) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड पत्तन की सीमाओं के भीतर पत्तन विकास या राष्ट्रीय हित में वाणिज्य और व्यापार में सुधार करने के लिए ऐसे सिविल ढांचों को खड़ा कर सकेगा, संनिर्माण कर सकेगा या निर्मित कर सकेगा, जिसके लिए जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार आज्ञापक न हो, राज्य प्राधिकारियों से कोई विनियामक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी।

प्रक्रिया जब स्थावर संपत्ति का किसी करार द्वारा अर्जन नहीं किया जा सकता है।

20. जहां बोर्ड के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर संपत्ति की आवश्यकता है तो यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, बोर्ड के अनुरोध पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड के अनुरोध पर और उस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा दिए गए प्रतिकर के संदाय तथा कार्यवाहियों के संबंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभारों के संदाय पर उसके अर्जन को उपाप्त करेगी और भूमि बोर्ड में निहित होगी।

2013 का 30

बोर्ड द्वारा संविदाएं।

21. (1) प्रत्येक महापत्तन का बोर्ड, अधिनियम के अधीन, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किसी संविदा को करने और उसका निष्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

(2) प्रत्येक महापत्तन बोर्ड के निमित्त की गई प्रत्येक संविदा अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे अध्यक्ष इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे, की जाएगी और उस पर बोर्ड की

सामान्य मुद्रा लगाई जाएगी।

(3) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन संविदा की जाएगी, वह होगी, जो विहित की जाए

ग. योजना और विकास

योजना और विकास के संबंध में बोर्ड की शक्तियां।

22. महापत्तन की योजना और विकास के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को उस महापत्तन के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से संगत निम्नलिखित नियम बनाने की शक्ति होगी—

1962 का 52

(क) पत्तन सीमाओं और महापत्तन पहुंच मार्गों पर या उनके भीतर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, ऐसे संकर्म हाथ में लेने, निष्पादित करने और ऐसे कार्य करने तथा ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने;

(ख) महापत्तन या महापत्तन पहुंच मार्गों पर पत्तन संबंधित कार्यकलापों और सेवाओं के लिए ऐसी सेवाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, पत्तन आस्तियों की उपलब्धता की घोषणा करने ;

(ग) महापत्तन के हितों को अग्रसर करने के लिए जिसके अंतर्गत नए पत्तनों, जैट्टियों, नौवहन धाराओं, शुष्क पत्तनों और ऐसी अन्य अवसंरचनाएं हैं, का अवसंरचना सुविधाओं का विकास और उन्हें उपलब्ध कराने ;

(घ) किन्हीं पत्तन संबंधी सेवाओं को करने के प्रयोजन के लिए संबंधित स्वामी से मालों का प्रभार ग्रहण करने;

(ङ) आपात स्थिति या किसी अन्य कारण से समुद्रगामी यान के मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता को ऐसे जलयान के पास किसी जलयान को न लाने का या ऐसे जलयान को बोर्ड के या उसके नियंत्रणाधीन किसी डॉक, बाँध, घाट, क्वेय, मंच, जैट्टी या प्रस्तंभ से हटाने का आदेश करने की;

(च) पत्तन सीमाओं या महापत्तन पहुंच मार्गों से किसी घाट, डॉक, क्वेय, मंच, जैट्टी, प्रस्तंभ, भवन या ढांचे, परिनिर्माण या मुरिंग का परिनिर्माण, फिक्स करने या हटाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपतट की पुनः प्राप्ति को हाथ में लेने और बोर्ड के कर्मचारियों के निवास और कल्याण के लिए अपेक्षित भवनों का ऐसी सीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, का स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से संनिर्माण और विकास को अनुज्ञात करने ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं मालों या जलयानों या मालों या जलयानों के वर्ग पर किसी दर या उदग्रहणीय प्रभार के संदाय से छूट या परिहार का उपबंध करने ;

(ज) जलयानों, यात्रियों, मालों या कर्मचारियों के संबंध में कोई अन्य सेवाएं या सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने ;

(झ) समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण कौशल, तटीय समुदायों के विकास, नाविक कल्याण और महापत्तन से संबंधित विकास का संवर्धन करने के लिए संकर्मों, कार्यकलापों, अध्ययन को हाथ में लेने, निष्पादन करना और कार्य करने ; और

(ञ) पत्तन सीमाओं के भीतर ऐसे ढांचों, भवनों, निकासियों, सड़कों, बाड़ों, नलकूपों, इनटेक कूपों, भंडारण प्रसुविधाओं, भांडागारों, पाइप लाइनों, टेलीफोन लाइनों, संचार टावरों, विद्युत आपूर्ति या पारेषण उपस्कर और ऐसे अन्य संकर्मों और सुविधाओं को बनाने या संनिर्माण करने या परिनिर्माण करने, जो प्रत्येक महापत्तन को बोर्ड उचित समझे।

घ. दरों का अधिरोपण

23. (1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड या इस निमित्त बोर्ड द्वारा धारा 13 के अनुसार नियुक्त प्रत्येक समिति या समितियां,—

महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों का परिमाण।

(क) दरों के परिमाण को और शर्तों के विवरण को विरचित कर सकेगी, जिसके अधीन किसी सेवा को किया जाएगा या उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ख) दरों के परिमाण को और शर्तों के विवरण को विरचित कर सकेगी, जिसके अधीन पत्तन आस्तियों तक पहुंच और उपयोग को बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के किसी संयोजन या ऐसी सेवाओं के किसी संयोजन या किसी उपयोक्ता के साथ सेवाओं के लिए दरों के समेकित परिमाण को या खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं पत्तन

आस्तियों के उपयोग या पहुंच के लिए अनुज्ञेय विरचित कर सकेगी ;

(घ) किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिक प्रभारित किसी रकम का प्रतिदाय करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी ;

(ङ) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा वृष्टिवश कम उदग्रहण की गई या प्रतिदाय की गई किसी दर या प्रभार के लिए आदेश पारित कर सकेगी ;

(च) इस धारा के अधीन वस्तुओं और जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न परिमाण, फीस, दरें और शर्तें विरचित कर सकेगी :

परंतु ऐसे परिमाण, फीस, दर और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन—

(क) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा ;

(ख) बोर्ड या केंद्रीय सरकार द्वारा पहले ही दी गई पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं को लागू नहीं होगा ;

(ग) इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनिर्देशों के अल्पीकरण में नहीं होगा ;

(घ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों से असंगत नहीं होगा ; और

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं की दशा में बोर्ड केवल बोली लगाने के प्रयोजनों के लिए निर्देश टैरिफ नियत कर सकेगा और ऐसी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के अधीन नियुक्त सुविधाग्राही बाजार स्थितियों और ऐसी अन्य स्थितियां, जो अधिसूचित की जाए, के आधार पर टैरिफ नियत करने के लिए स्वतंत्र होगा :

परंतु यह भी कि राजस्व भाग और अन्य शर्तें बोर्ड और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के अधीन नियुक्त पब्लिक प्राइवेट भागीदारी सुविधाग्राही के बीच विनिर्दिष्ट छूट करार के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नीलामी या निविदा आमंत्रण द्वारा उसकी या उसके कब्जे में किसी भूमि या शेड को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उपबंधित दर से उच्चतर दर पर पट्टे पर दे सकेगा ।

बोर्ड का दरों के लिए धारणाधिकार ।

24. (1) बोर्ड किन्हीं मालों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय सभी दरों की रकम और ऐसे बोर्ड को किन्हीं भवनों, कुर्सी स्टैकिंग क्षेत्रों या अन्य परिसरों या जिनमें किन्हीं मालों को रखा गया है, से देय भाटक के लिए ऐसे मालों पर धारणाधिकार होगा और वह जब तक ऐसी दरों और भाटक का पूर्णतया संदाय न कर दिया जाए, वह उन्हें अभिग्रहण और निरुद्ध कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट धारणाधिकार को सभी अन्य धारणाधिकारों और दावों पर सिवाय साधारण औसत और पोत के स्वामी के ऐसे मालों पर मालभाड़े और अन्य प्रभारों के लिए धारणाधिकार के, जहां ऐसा धारणाधिकार विद्यमान है और धारा 25 की उपधारा (1) में उपबंधित रीति में उसका परिरक्षण किया गया है, और शास्ति या जुमाने के माध्यम से भिन्न के किसी धन के सीमाशुल्क से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय के पूर्विकता होगी ।

(3) धारणाधिकार का अधिकार बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी सुविधाग्राही में भी विहित होगा, जिसके साथ पलतन सीमाओं के भीतर किसी बंध या टर्मिनल को प्रचालित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन उक्त बोर्ड द्वारा किसी छूट संविदा की गई है ।

पोत के स्वामी का मालभाड़े और अन्य प्रभारों के लिए धारणाधिकार ।

25. (1) यदि किसी जलयान का मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता महापलतन के बोर्ड से संबंधित या उसके कब्जे में पलतन आस्ति पर किसी जलयान या किन्हीं मालों के उतरने से पूर्व या उतरने के समय ऐसे बोर्ड को लिखित में सूचना देता है कि ऐसे मालों को पोत के स्वामी को ऐसी सूचना में वर्णित किसी रकम के लिए संदेय मालभाड़ा या अन्य प्रभारों के धारणाधिकार के अधीन रहना है तो ऐसे माल ऐसी रकम के लिए ऐसे धारणाधिकार के लिए दायी बने रहेंगे ।

(2) मालों के स्वामी के जोखिम और व्यय पर बोर्ड की अभिरक्षा में तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसे धारणाधिकार का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है और गोदाम या भंडारण भाटक का ऐसे मालों के लिए, जिसे इस प्रकार रखा गया है, तत्समय हकदार पक्षकार द्वारा संदाय किया जाएगा ।

(3) इस निमित्त बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने या जिसके निमित्त ऐसी सूचना दी गई है, द्वारा ऐसे धारणाधिकार के लिए उन्मोचन की रकम की रसीद या उससे निर्मुक्ति के लिए

तात्पर्यित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बोर्ड ऐसे मालों को ऐसे धारणाधिकार को गणना में न लेते हुए हटाने को अनुज्ञात कर सकेगा, परंतु यह कि बोर्ड द्वारा ऐसे दस्तावेज की अधिप्रमाणिता के संबंध में युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो।

माल विक्रय और कतिपय मामलों में विक्रय आगत का उपयोग।

26. (1) बोर्ड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 में उपदर्शित ऐसे समय के अवसान पर और ऐसी रीति में किन्हीं मालों का विक्रय कर सकेगा, जो बोर्ड की अभिरक्षा में उनकी लैंडिंग के पश्चात् आ गए हैं या रखे गए हैं—

1962 का 52

(क) यदि ऐसे मालों के संबंध में बोर्ड को किन्हीं दरों का संदाय नहीं किया गया है ; या

(ख) यदि बोर्ड को किसी स्थान के संबंध में संदेय भाटक या जिसमें ऐसे मालों का भंडारण किया गया है, के लिए भाटक का संदाय नहीं किया गया है ; या

(ग) यदि किसी पोत स्वामी का मालभाड़े के लिए धारणाधिकार या अन्य प्रभार, जिनके लिए सूचना दी गई है, का उन्मोचन नहीं किया गया है और यदि मालभाड़े के लिए या अन्य प्रभारों के लिए दावा करने वाले व्यक्ति ने ऐसे विक्रय के लिए बोर्ड को आवेदन किया है ; या

(घ) यदि ऐसे मालों को, स्वामी या उनके लिए हकदार व्यक्ति ने, बोर्ड के परिसरों से नहीं हटाया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन माल विक्रय के लिए प्रक्रिया और ऐसे विक्रय से आगतों का उपयोग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150 में यथा उपबंधित रीति में किया जाएगा।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए नियंत्रित मालों का विक्रय ऐसे समय पर और ऐसी रीति में किया जा सकेगा जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “नियंत्रित मालों” से ऐसे माल अभिप्रेत हैं, जिनकी कीमत या निपटान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित होता है।

1962 का 52

27. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक महापत्तन का बोर्ड, पत्तन सीमाओं के भीतर किसी विकास या स्थापित अवसंरचना या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना के लिए विनिर्दिष्ट महायोजना सृजित करने का हकदार होगा और ऐसी महायोजना किसी स्थानीय या किसी राज्य सरकार प्राधिकारी के विनियमों, चाहे जो भी हों, से स्वतंत्र होगी।

महायोजना।

28. (1) यदि किसी जलयान, जिसके संबंध में इस अधिनियम या किन्हीं विनियमों या उनके अनुसरण में किए गए आदेशों के अधीन कोई दर या शास्तियां संदेय हैं, का मास्टर उनका या उनके किसी भाग का मांग किए जाने पर संदाय करने से इंकार करता है या अनदेखी करता है तो बोर्ड ऐसे जलयान और उससे संबंधित साज-सामान, परिधान और फर्नीचर या उनके किसी भाग को करस्थम् या गिरफ्तार कर सकेगा और उनको तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक बोर्ड को इस प्रकार देय रकम का ऐसी और रकम के साथ, जो किसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान जलयान करस्थम् या गिरफ्तारी के अधीन है, का संदाय नहीं कर दिया जाता है।

जलयानों के करस्थम् द्वारा दरों और प्रभारों की वसूली।

(2) यदि उक्त दरों या शास्तियों या करस्थम् या गिरफ्तारी की लागत या उन्हें रखने का कोई भाग इस प्रकार किए गए करस्थम् या गिरफ्तारी के अगले पन्द्रह दिन के लिए असंदत्त रहता है तो बोर्ड इस प्रकार निरुद्ध या करस्थम् जलयान या अन्य चीजों का विक्रय करना कारित करेगा और ऐसे विक्रय के आगतों से ऐसी दरों या शास्तियों और लागतों को चुकाएगा, जिसके अंतर्गत असंदत्त विक्रय की लागत, है, आधिक्य (यदि कोई हो) को ऐसे जलयान के स्वामी को मांग करने पर प्रदान कर दिया जाएगा।

29. बोर्ड द्वारा धारा 19 से धारा 28 (सिवाय धारा 25 के) उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 51 के अधीन गठित न्यायनिर्णायिक बोर्ड को उसके समक्ष ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, आवेदन फाइल कर सकेगा।

न्यायनिर्णायिक बोर्ड को आवेदन।

अध्याय 4

महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में शक्तियां

क. महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की वित्तीय शक्तियां

30. (1) बोर्ड पूंजी व्यय और उसकी कार्यशील पूंजी की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित किसी से, करेंसी या करेंसियों में ऋण ले सकेगा—

ऋण इकट्ठा करने और प्रतिभूतियां देने की शक्ति।

(क) भारत में अवस्थित अधिसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधियों की अनुपालना में भारत से बाहर किसी देश में स्थित वित्तीय संस्था से :

परंतु केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना, बोर्ड की पूंजी आरक्षितियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य से अनधिक राशि का कोई ऋण बोर्ड द्वारा नहीं लिया जाएगा।

(2) बोर्ड द्वारा भारत में खुले बाजार से और भारत से बाहर पत्तन प्रतिभूतियों, जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अभिप्राप्त किए गए डिबेंचर, बंधपत्र और स्टॉक प्रमाणपत्र भी हैं, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है, पर ऋण लिए जा सकेंगे :

परंतु भारत से बाहर किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अनुपालन किए बिना कोई ऋण नहीं लिया जाएगा या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की जाएगी।

1999 का 42

(3) किसी भी प्ररूप में पत्तन प्रतिभूति का धारक उसके विनियम के लिए किसी पत्तन प्रतिभूति को ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निबंधनों पर, जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) पत्तन प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में वाद लाने का अधिकार उसके धारकों द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रयोक्तव्य होगा।

1963 का 36

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड की शक्तियों पर स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 के अधीन ऋण लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाएगा।

1914 का 9

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अन्यथा बोर्ड द्वारा उसकी आरक्षित निधियों में धृत प्रतिभूतियों के आडमान या बोर्ड के बैंकों में नियत आस्तियों की प्रतिभूति के माध्यम से उधार ले सकेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उस समय ऐसे अस्थाई ओवरड्राफ्ट या अन्य ऋण नहीं लिए जाएंगे, यदि किसी वर्ष में किसी भी समय ऐसे ओवरड्राफ्टों या अन्य ऋणों की रकम बोर्ड की पूंजी आरक्षितियों के समतुल्य राशि से अधिक हो जाती है :

परंतु यह और कि इस प्रकार अस्थाई ओवरड्राफ्टों या अन्यथा उधार लिए गए सभी धनों का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाएगा।

पृष्ठांकनों का स्वयं प्रतिभूति पर किया जाना।

31. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पत्तन प्रतिभूति पर किया गया कोई पृष्ठांकन, जो पृष्ठांकन द्वारा अंतरणीय है, तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि उसे स्वयं प्रतिभूति के पीछे धारक के हस्ताक्षर अंतरलिखित करके निष्पादित न किया गया हो।

1881 का 26

प्रतिभूति को पृष्ठांकित करने वाले व्यक्ति का उसकी रकम के लिए उत्तरदायी न होना।

32. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किसी पत्तन प्रतिभूति को पृष्ठांकित किया है, उसके अधीन मूलधन या व्याज, किसी भी रूप में शोध्य किसी धन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

1881 का 26

कतिपय मामलों में पत्तन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में मान्यता और उसके विधिक प्रभाव।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे धारा 21 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन कोई द्वितीय या नई प्रतिभूति जारी की गई है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा प्रतिभूति के धारक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है; और इस प्रकार किसी व्यक्ति को जारी द्वितीय प्रतिभूति या किसी नई प्रतिभूति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह बोर्ड और ऐसे व्यक्ति तथा उसके माध्यम से उसके पश्चात् हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नई संविदा का गठन करती है।

(2) बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में प्रदान की गई किसी मान्यता को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जहां तक ऐसी मान्यता बोर्ड के, उसके द्वारा पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति या ऐसी प्रतिभूति में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के बीच के संबंधों को प्रभावित नहीं करती है; और बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई ऐसी मान्यता उस व्यक्ति को, प्रतिभूति के अधिकारवान स्वामी के प्रति ऐसे धन के लिए, जो उसके मदे प्राप्त किया गया था, निजी दायित्व के अधीन रहते हुए प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में हक प्रदान करेगी।

1963 का 36

34. परिसीमा अधिनियम, 1963 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

कतिपय मामलों में उन्मोचन।

(क) किसी पत्तन प्रतिभूति के संबंध में किसी शोध्य रकम का, उस तारीख को या उसके पश्चात् संदाय किए जाने पर, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है; या

(ख) जब बोर्ड द्वारा धारा 22 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन कोई द्वितीय प्रतिभूति जारी की गई है; या

(ग) जब बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन संपरिवर्तन, समेकन या उप-प्रभाजन पर कोई नई प्रतिभूति जारी की गई है,

तो बोर्ड निम्नलिखित दशाओं में इस प्रकार संदत्त प्रतिभूति या ऐसी प्रतिभूति जिसके स्थान पर कोई द्वितीय या नई प्रतिभूति जारी की गई है, के संबंध में अपने सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा—

(i) उस तारीख से, जिसको संदाय शोध्य हो गया था, छह वर्षों की समाप्ति के पश्चात् संदाय किए जाने की दशा में;

(ii) द्वितीय प्रतिभूति की दशा में, द्वितीय प्रतिभूति के जारी किए जाने की तारीख से या मूल प्रतिभूति

पर ब्याज का अंतिम संदाय किए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो, छह वर्षों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ;

(iii) संपरिवर्तन, समेकन या उप-प्रभाजन पर नई प्रतिभूति जारी किए जाने की दशा में, उसके जारी किए जाने की तारीख से, छह वर्षों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ।

35. यदि किसी महापत्तन के बोर्ड द्वारा कोई ऋण लिया जाता है और ऐसे ऋण को प्राप्त करने के लिए पत्तन प्रतिभूति से भिन्न कोई अन्य प्रतिभूति अपेक्षित है तो उस महापत्तन का बोर्ड निम्नलिखित के विरुद्ध ऐसा ऋण प्राप्त कर सकेगा—

महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों के लिए प्रतिभूति ।

(क) निम्नलिखित से भिन्न पत्तन आस्तियां—

(i) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के लिए अलग से रखी गई कोई राशि—

(अ) जिसे किसी ऋण के संदाय करने के प्रयोजन के लिए शोधन निधि के रूप में रखा गया है ; या

(आ) जिसे उसके द्वारा उसके कर्मचारियों की पेंशन के संदाय के लिए रखा गया है ; या

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित कोई भविष्य या पेंशन निधि ; और

(ख) बोर्ड की पत्तन आस्तियों और सेवाओं से आय ।

बोर्ड की नियत तारीख से पूर्व सरकार को ऋण चुकाने की शक्ति ।

36. बोर्ड ऐसे धनों में से, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके हाथ में आते हैं और जिनका पत्तन प्रतिभूतियों के अन्य धारकों की प्रतिभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयोग किया जा सकता है, किन्हीं रकमों का उपयोग सरकार को ऐसी राशियों को चुकता करने में कर सकेगा, जो किसी ऋण के मूलधन के संबंध में उससे शोध्य हैं, हालांकि उन्हें चुकाने के लिए नियत समय अभी नहीं आया है ।

शोधन निधि का स्थापन और उपयोग ।

37. (1) इस अधिनियम के अधीन महापत्तन प्राधिकरणों के संबद्ध बोर्ड द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों के, जो ऐसे ऋणों की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रतिसंदेय नहीं हैं, संबंध में ऐसे बोर्ड अपनी आय में से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे ऋणों को चुकाने या उनके परिनिर्धारण के लिए पर्याप्त शोधन निधि या निधियों को अलग रखेंगे ।

(2) इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व, यदि महापत्तन अधिनियम, 1963 के अधीन गठित किसी न्यास बोर्ड द्वारा लिए गए किसी ऐसे ऋण के संबंध में जिसके लिए बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दायी है, उसके द्वारा किसी शोधन निधि की स्थापना की गई थी तो न्यास बोर्ड द्वारा इस प्रकार स्थापित शोधन निधि को इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

1963 का 38

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा इस प्रकार अलग रखी गई राशियों और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी शोधन निधि का भाग बनने वाली राशियों का उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(4) बोर्ड किसी शोधन निधि में एकत्रित सम्पूर्ण राशियों या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उधार लिए गए धन के उन्मोचन में या उनके मद्दे कर सकेगा, जिनके प्रतिसंदाय के लिए निधि की स्थापना की गई है :

परंतु यह कि बोर्ड प्रत्येक वर्ष निधि में ऐसी रकम का संदाय करता है, जो इस प्रकार उपयोग की गई शोधन निधि या उसके किसी भाग द्वारा व्युत्पन्न ब्याज के समतुल्य राशि के बराबर होगा और ऐसा संदाय तब तक किया जाता रहेगा, जब तक उधार लिए गए सम्पूर्ण धनों का उन्मोचन नहीं हो जाता ।

विद्यमान ऋणों और प्रतिभूतियों का जारी बने रहना ।

38. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी महापत्तन के संबंध में लिए गए सभी ऋण या उधार ली गई सभी रकमों और जारी या गिरवी रखी गई सभी प्रतिभूतियां महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार शासित होती रहेगी ।

1963 का 38

ख. महापत्तन प्राधिकरणों के साधारण खाते

बोर्ड के साधारण खाते ।

39. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त सभी धनों को बोर्ड के ऐसे साधारण खाते या खातों में जमा किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित बैंकों में साधारण रूप से खोले गए हैं ।

साधारण खातों में रखे गए धन का उपयोग ।

40. (1) धारा 39 के अधीन साधारण खाते या खातों में जमा किए गए धनों का उपयोग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रभारों के संदाय में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित को शोध्य वेतन, फीस, भत्ते, पेंशन, उपदान, अनुकंपा भत्ते या अन्य धनों के—

(i) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ), (ङ) और (च) के अधीन नियुक्त सदस्यों के सिवाय बोर्ड के सदस्यों ;

(ii) बोर्ड के कर्मचारियों; और

(iii) ऐसे कर्मचारियों के उत्तरजीवी नातेदारों, यदि कोई हों ;

(ख) बोर्ड द्वारा किसी भविष्य या कल्याण निधि या बोर्ड द्वारा स्थापित किसी ऋण या विशेष निधि के संचालन और प्रशासन में उपगत लागत और व्यय ;

(ग) बोर्ड और डॉक, भांडागारों और बोर्ड की अन्य सम्पत्तियों के रखरखाव, विकास, सुरक्षा और संरक्षा के लिए;

(घ) बोर्ड की या उसमें निहित सम्पत्ति की मरम्मतों और अनुरक्षण की लागत और उनके संबंध में सभी प्रभार तथा सभी कार्यकरण व्यय;

(ङ) धारा 23 के अधीन उपबंधित प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा किए गए या उपगत लागतें, व्यय, राशियां, संदाय और अभिदाय ; और

(च) ऐसा कोई अन्य प्रभार या व्यय, जिसके लिए बोर्ड विधिक रूप से दायी हो ।

(2) बोर्ड के खाते में जमा सभी धनों का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में या उसके प्रयोजनों के लिए तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है अपितु उनका उपयोग विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड समय-समय पर विनिश्चय करे ।

(3) धारा 38 और इस धारा की उपधारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड द्वारा उसकी ओर से प्राप्त ऐसे धनों को, जो गैर-पत्तन संबंधी उपयोग हेतु प्राप्त हुए हैं, सिवाय उनके जो धारा 59 के अंतर्गत आते हैं, एक अभिहित खाते में जमा किया जाएगा और उनका उपयोग बोर्ड द्वारा पूंजी निवेश के लिए या ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

ग. लेखा और संपरीक्षा

41. (1) बोर्ड ऐसे प्ररूप में, अपना बजट तैयार करेगा, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा तुलन-पत्र सहित अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

लेखा और संपरीक्षा ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, की जाएगी और बोर्ड द्वारा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसे संदेय किसी रकम को बोर्ड के साधारण खाते में से विकलित किया जाएगा ।

(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो साधारण रूप से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसके पास विशिष्ट रूप से बहियों, खातों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, उसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखवाएगी ।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार का पर्यवेक्षण

प्रशासन रिपोर्ट ।

42. प्रत्येक वर्ष 1 के अप्रैल के पश्चात् यथाशीघ्र और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की जाने वाली तारीख से पूर्व बोर्ड, केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बोर्ड के प्रशासन की ब्यौरेवार रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निदिष्ट किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के कार्यों का सर्वेक्षण या उसकी परीक्षा करने का आदेश करने की शक्ति ।

43. केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय बोर्ड के किसी भी कार्य के संबंध में या उसके आशयित स्थल के संबंध में किसी स्थानीय सर्वेक्षण या परीक्षा का आदेश दे सकेगा और ऐसे सर्वेक्षण तथा परीक्षा की लागत का वहन और संदाय बोर्ड द्वारा उसके साधारण खाते में जमा धनराशियों में से किया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार की बोर्ड की लागत पर कार्यों का प्रत्यावर्तन

44. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की किसी भी समय यह राय है कि बोर्ड द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित किसी मरम्मत कार्य, किसी कार्य को पूरा करने, उसका प्रत्यावर्तन करने, कारित करने या किसी संकर्म या साधित्र को

या उन्हें पूरा करने की शक्ति।

उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण कोई गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हुई है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्य का प्रत्यावर्तन या उसे पूरा या कारित या ऐसी मरम्मतों को करवा या ऐसे साधित्र को उपलब्ध करवा सकेगी और ऐसे प्रत्यावर्तन, कार्य को पूरा करने, संनिर्माण, मरम्मत या उपलब्ध कराए जाने की लागत का संदाय संबद्ध बोर्ड द्वारा उसके साधारण खाते में जमा धनराशियों में से किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित करणों या लोपों के बारे में, यदि कोई हों, यह समझा जाएगा कि उनके परिणामस्वरूप उपधारा (1) के अधीन गंभीर आपातस्थिति उत्पन्न हुई है—

(क) यदि कोई बोर्ड, उसके द्वारा संनिर्मित या उपलब्ध कराए गए या उसमें निहित किसी कार्य या साधित्र को गैर-मरम्मत की स्थिति में जाने देता है; या

(ख) यदि कोई बोर्ड सुसंगत समय के भीतर, बोर्ड द्वारा आरंभ किए गए या केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए किसी प्राक्कलन में सम्मिलित किसी कार्य को पूरा नहीं करता है; या

(ग) यदि कोई बोर्ड लिखित में सम्यक् सूचना दिए जाने के पश्चात् भी किसी ऐसे कार्य या मरम्मत को प्रभावी रूप से नहीं करता है या किसी ऐसे साधित्र को उपलब्ध नहीं कराता है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

45. (1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) कोई बोर्ड इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) किसी बोर्ड ने इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में निरंतर व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति और प्रशासन का सारवान् रूप से क्षय हुआ है तो,

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और जो एक बार में बारह मास से अधिक नहीं होगी, बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण कर सकेगी :

परंतु खंड (ख) में उल्लिखित कारणों से इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार बोर्ड को एक युक्तियुक्त समय, जो तीन मास से कम नहीं होगा, प्रदान करेगी जिसमें उसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसके प्रबंध का ग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए और वह इस संबंध में बोर्ड के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, प्रबंध ग्रहण करने की तारीख से अपने-अपने पदों या बोर्ड में अपनी हैसियत से हट जाएंगे ;

(ख) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या निर्वहन किए जाने वाले सभी कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जब तक कि उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निदिष्ट करे ;

(ग) उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन कर दिए जाने तक बोर्ड में निहित सभी सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रबंध ग्रहण की अवधि के अवसान पर या ऐसे अवसान से पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा—

(क) बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की अवधि को ऐसी और अवधि के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, किंतु जो बारह मास से अधिक नहीं होगी, विस्तारित कर सकेगी ; या

(ख) बोर्ड के सभी पदों पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, नई नियुक्तियां करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में, ऐसे व्यक्तियों को, जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन उनके पदों से हट गए थे, नियुक्ति के लिए निरहित समझा जाएगा।

46. धारा 42 और धारा 44 के अधीन की गई किसी कार्रवाई या कार्रवाइयों और धारा 45 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी कार्रवाई या कार्रवाइयों और अधिसूचना तथा ऐसी कार्रवाई को करने के लिए विद्यमान परिस्थितियों की पूर्ण रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

47. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में या किसी गंभीर आपात स्थिति के कारण समय-समय पर किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट जलयानों या जलयानों के वर्गों को मालों या कतिपय विनिर्दिष्ट मालों या मालों के किन्हीं वर्गों को, महापत्तन में किसी स्थान पर या महापत्तन के भीतर पहुंच मार्गों पर ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के दौरान उतारने

रिपोर्ट का रखा जाना।

पत्तन आस्तियों का उपयोग करने की बाध्यता से छूट देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

केन्द्रीय सरकार की बोर्ड के प्रबंध को ग्रहण करने की शक्ति।

या वहन करने की अनुज्ञा दे सकेगी और ऐसा महापत्तन या महापत्तन के भीतर पहुंच मार्गों के संबंध में संबद्ध बोर्ड को ऐसे संदायों के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे, किया जाएगा।

48. बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अधिनियम के अधीन उसमें निहित किन्हीं आस्तियों, सम्पत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या उन्हें निर्निहित नहीं करेगा।

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किन्हीं आस्तियों, सम्पत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या निर्निहित न किया जाना।

बोर्ड को दिए गए ऋणों के संबंध में सरकार के उपचार।

49. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, उसके द्वारा बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण को दिए गए ऐसे ऋणों, जिनका प्रतिदाय करने के लिए बोर्ड ऐसे प्रारंभ पर विधिक रूप से दायी है, के संबंध में वही उपचार और पूर्विकताएं होंगी, जो महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 के अधीन उस प्रकार लागू हैं, मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

(2) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा भावी ऋणों या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए ऋणों के लिए वही उपचार, जो बोर्ड द्वारा जारी पत्तन प्रतिभूतियों के धारकों को उपलब्ध हैं, तब तक उपलब्ध होंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा संबद्ध ऋण करारों के भीतर ऐसे ऋणों के संबंध में पूर्विकता या बृहत अधिकार मंजूर न किए जाएं।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

50. (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्न संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में जारी करे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व बोर्ड को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में विनिश्चय कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, अंतिम और बोर्ड पर बाध्यकर होगा।

1963 का 38

अध्याय 6

न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन

न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन और उसके कृत्य।

51. (1) केन्द्रीय सरकार महापत्तनों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिसूचना द्वारा एक न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन कर सकेगी और ऐसा बोर्ड एक पीठासीन अधिकारी और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

(2) न्यायनिर्णायिक बोर्ड का प्रधान कार्यालय मुम्बई में होगा :

परंतु न्यायनिर्णायिक बोर्ड ऐसे अन्य स्थानों पर आसीन हो सकेगा, जैसाकि पीठासीन अधिकारी द्वारा, उसे निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विनिश्चय किया जाए।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायनिर्णायिक बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) 2005, 2008 और 2013 के टैरिफ मार्गदर्शक सिद्धांतों और महापत्तनों के लिए तत्कालीन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा जारी टैरिफ आदेशों से उदभूत होने वाले उक्त प्राधिकरण द्वारा किए जाने के लिए परिकल्पित कृत्य ;

(ख) महापत्तनों और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी छूट प्राप्तकर्ताओं या उनके छूट करारों के ढांचे के अंतर्गत समर्पित बर्थ के लिए आबद्ध उपयोगिताओं के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित किसी विवाद या मतभेदों या दावों के संबंध में प्रतिनिर्देश प्राप्त करना और उनका न्यायनिर्णयन करना और विवाद में अंतर्वलित सभी पक्षकारों की सुनवाई करने और मामले पर विचार करने के पश्चात् आदेश पारित करना ;

परंतु न्यायनिर्णायिक बोर्ड के आदेश से सहमत न होने वाला कोई पक्षकार अपने-अपने छूट करारों के उपबंधों के अधीन उपबंधित माध्यस्थम् का अवलंब ले सकेगा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार या महापत्तनों के बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रतिबलित पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करना तथा ऐसी परियोजनाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए उपायों का सुझाव देना ; और

(घ) पत्तन के उपयोक्ताओं से महापत्तनों या महापत्तनों में प्रचालन करने वाले प्राइवेट प्रचालकों द्वारा दी गई सेवाओं और निबंधनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना और संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने

के पश्चात् आवश्यक आदेश पारित करना :

परंतु न्यायनिर्णायिक बोर्ड के किसी आदेश से समाधान प्राप्त न करने वाला कोई पक्षकार माध्यस्थम् या किसी अन्य उपलब्ध विधिक उपचार का अवलंब लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(4) कोई व्यक्ति तब तक न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित न हो या अर्हित न रहा हो ।

(5) न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो ऐसे सदस्यों से मिलकर और ऐसी रीति में बनेगी, जो विहित की जाए ।

(6) न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक वे सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे ।

(7) कोई व्यक्ति तब तक न्यायनिर्णायिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह वित्त, वाणिज्य, समुद्री, पोत परिवहन और पत्तन संबंधी मामलों में विशेषज्ञ न हो, अर्थात् उसने संबंधित क्षेत्र में कम से कम बीस वर्षों तक कार्य न किया हो ।

(8) न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के वेतन और भत्तों और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(9) न्यायनिर्णायिक बोर्ड द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय अपनाए जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

(10) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो न्यायनिर्णायिक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ख) व्यक्तियों को समन करना तथा उन्हें हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

1908 का 5

1860 का 45

(11) न्यायनिर्णायिक बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और न्यायनिर्णायिक बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(12) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायनिर्णायिक बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उसे किसी वाद, आवेदन, निष्पादन या किसी अन्य कार्यवाही में प्रश्रुगत नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

1974 का 2

अध्याय 7

शास्तियां

अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

52. ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

53. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी तथा साथ ही कंपनी के कारबार संचालन के लिए उत्तरदायी था, को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और

दंड का दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के करण का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकलता के साथ किया गया है या वह अपराध उनकी किसी उपेक्षा के कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंड दिए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यष्टियों की कोई फर्म या कोई अन्य संगम भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अपराधों का संज्ञान।

54. किसी मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

55. बोर्ड या किसी सदस्य या कर्मचारी के विरुद्ध, ऐसी किसी कार्रवाई, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है या सेवा में किसी कमी के लिए या सेवाओं में ऐसी कमी के कारण किन्हीं पारिणामिक हानियों के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

1860 का 45

56. बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

57. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए या बोर्ड को उपलब्ध संविदात्मक उपचारों का अवलंब लेते हुए, बोर्ड के कर्मचारियों को किए गए किन्हीं परिसरों के आबंटन को रद्द कर सकेगा या बोर्ड के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो किसी पत्तन आस्ति या पत्तन की सीमाओं में किन्हीं परिसरों या क्षेत्र का अधिभोगी है, ऐसे आबंटिती या कर्मचारी या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या तैयार किए गए विनियमों के उल्लंघन में उसका अधिभोग या कब्जा रखता हो, को संबोधित करते हुए लिखित में सूचना द्वारा वेदखल कर सकेगा :

बोर्ड के परिसरों से कतिपय व्यक्तियों को वेदखल करने की शक्ति।

परंतु ऐसी किसी सूचना में आबंटन को रद्द करने या वेदखली या हटाए जाने के कारण और साथ ही ऐसी अवधि उपदर्शित होगी, जिसके भीतर हटाया जाना या वेदखली ईप्सित है और साथ ही बकायों की शोध्य राशियों और ऐसे परिसरों के विस्तारित अप्राधिकृत उपयोग के लिए वसूली को भी उपदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि कोई आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है तो उक्त आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति आदेश के विरुद्ध बोर्ड द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

(3) यदि कोई आबंटिती या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी आवेदन पर किसी पुलिस अधिकारी को समुचित सहायता के साथ परिसरों में प्रवेश करने और उनमें मौजूद किसी व्यक्ति को वेदखल करने और परिसरों का कब्जा प्राप्त करने तथा उसका बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को परिदान करने आदेश कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(4) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी किसी सूचना की तामील निम्नलिखित के माध्यम से की जा सकेगी,—

(क) आबंटिती या कर्मचारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो सम्पूर्ण परिसर या उसके किसी भाग का अधिभोगी हो या कब्जेधारी हो, परिदत्त या प्रस्तुत करके ; या

(ख) यदि उसे इस प्रकार परिदत्त या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो उसे परिसरों के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपका कर; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ; या

(घ) उस क्षेत्र में परिचालन रखने वाले किसी स्थानीय समाचार पत्र में उसका प्रकाशन करके ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “परिसरों” पद से ऐसी कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है, जो पत्तन आस्तियों का भाग है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) केन्टीन, उद्यान और आउट हाउस, यदि कोई हों, जैसे क्षेत्र जो ऐसे भवन या भवन के किसी भाग से संसक्त हैं ;

(ii) ऐसे भवन या भवन के किसी भाग में लगी कोई फिटिंग, जिन्हें उसके अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए लगाया गया है ; और

(iii) कोई फर्नीचर, पुस्तकें या बोर्ड के स्वामित्व वाली अन्य वस्तुएं, जिन्हें ऐसे भवन या भवन के किसी भाग में पाया जाए ।

वाद द्वारा अनुकल्पी उपचार ।

58. इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड वाद द्वारा किन्हीं दरों, नुकसानियों, व्ययों, लागतों या विक्रय की दशा में, जब विक्रय के आगम अपर्याप्त हों, उसके बकाया को या बोर्ड को इस अधिनियम या उसके अनुसरण में बनाए गए विनियमों के अधीन संदेय किन्हीं शास्तियों या वसूलनीय धन की वसूली कर सकेगा ।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और बोर्ड द्वारा अवसंरचना का विकास ।

59. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड पत्तन की सीमाओं के भीतर अपने स्वयं के कर्मचारियों, ग्राहकों, कारबार भागीदारों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाओं, पर्यावरण और सम्पूर्ण समाज को सामाजिक फायदे, जिसके अंतर्गत शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आवासन, आवास, कौशल विकास, प्रशिक्षण और मनोरंजक क्रियाकलाप भी हैं, उपलब्ध कराने के लिए अपनी निधियों का उपयोग कर सकेगा ।

(2) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधियों का उपयोग करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

60. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) चयन समिति की संरचना और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी जांच का संचालन करने की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 10 के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय मानदेय ;

(ङ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा संविदा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 29 के अधीन न्यायनिर्णायिक बोर्ड के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(छ) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन राशियों का उपयोग करने की रीति ;

(ज) वह प्रयोजन, जिसके लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त धनों का धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन उपयोग किया जाएगा ;

(झ) वह प्ररूप और वह समय, जिसमें बोर्ड धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ञ) धारा 51 की उपधारा (8) के अधीन न्यायनिर्णयण बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ट) धारा 51 की उपधारा (9) के अधीन न्यायनिर्णयण बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ठ) धारा 51 की उपधारा (10) के अधीन न्यायनिर्णयण बोर्ड के अन्य कृत्य ;

(ड) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधियों का उपयोग करने की रीति ; और

(ढ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

61. (1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और उनके पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बनाएगा।

पत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कारबार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कारबार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ;

(ग) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन पत्तन आस्तियों का उपयोग और विकास ;

(ङ) धारा 22 के अधीन महापत्तन की योजना और विकास के प्रयोजन ;

(च) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन पत्तन प्रतिभूति का प्ररूप ; और

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

62. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। तथापि, नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

1963 का 38

63. (1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) उपधारा (1) के अधीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के निरसन के होते हुए भी,—

1963 का 38

(क) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन किसी नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, जारी किए गए किसी आदेश या दी गई सूचना या किसी नियुक्ति या की गई किसी घोषणा या किए गए किसी प्रचालन या दिए गए किसी निदेश या की गई किसी कार्यवाही या अधिरोपित किसी शास्ति या दंड, समपहरण या जुर्माने के संबंध में प्रमुख रूप से किए गए किसी कार्य को, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत है, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा ;

(ख) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया कोई आदेश, बनाया गया कोई नियम, जारी की गई कोई अधिसूचना, विनियम, की गई कोई नियुक्ति, हस्तांतरण, गिरवी, विलेख, न्यास, विशेष प्रयोजन यान, संयुक्त उद्यम, दस्तावेज या किया गया कोई करार, निदिष्ट फीस, पारित संकल्प, निदेश, की गई कार्यवाही, निष्पादित या जारी कोई लिखत या की गई कोई बात, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है और इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, तो वह प्रवर्तन में बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया है, निदिष्ट, पारित, दिया, लिया, निष्पादित, जारी या किया गया है ;

1963 का 38

(ग) कोई सिद्धांत या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवाक् का क्रम, व्यवहार या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन या छूट पर इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसे क्रमशः किसी रीति में निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन, उसमें, उसके द्वारा या उससे अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है या व्युत्पन्न किया गया है ;

(घ) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन या उसके कारण किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या उसके कारण उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

1963 का 38

(ङ) किसी अधिकारिता, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात को जो विद्यमान या प्रवर्तन में नहीं है, पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा ;

1963 का 38

(च) निरसित अधिनियमितियों के अधीन कोई दस्तावेज और गठित तथा स्थापित निधियों को इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन गठित या स्थापित दस्तावेज और निधियां समझा जाएगा;

(छ) निरसित अधिनियमितियों के अधीन संस्थित कोई अभियोजन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सुनवाई जारी रहेगी और उसका निपटारा उक्त न्यायालय द्वारा किया जाएगा; और

(ज) निरसित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन आदेश किए गए किसी निरीक्षण, अन्वेषण या जांच के संबंध में कार्यवाही को इस प्रकार जारी रखा जाएगा मानों ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच करने के लिए आदेश इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन दिया गया था ।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों के उल्लेख के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वे महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ।

1963 का 38

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

64. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम उस महापत्तन को लागू किया जाता है, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

65. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड के रूप में कार्यकरण करने वाला बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्यकरण करता रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक महापत्तन के लिए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किंतु इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड के गठन

1963 का 38
1897 का 10संक्रमणकालीन
उपबंध ।

पर, ऐसे गठन से पूर्व न्यासी बोर्ड में पदधारण करने वाले सदस्य, अपना पदधारण करना बंद कर देंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महापत्तन न्यास अधिनियम, भारत में कतिपय महापत्तनों के लिए पत्तन प्राधिकरणों के गठन के लिए और ऐसे प्राधिकरणों में ऐसे पत्तनों का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध निहित करने के लिए तथा उससे संबंधित मामलों के लिए वर्ष 1963 में अधिनियमित किया गया था।

2. भारत में 1960 के दशक में केंद्रीय सरकार द्वारा सेवा पत्तन माडल का अनुसरण करते हुए महापत्तन न्यास सृजित किए गए थे। इस प्रकार गठित प्रत्येक महापत्तन न्यास, न्यासी बोर्ड द्वारा शासित है। इन न्यासियों की शक्तियां सीमित हैं क्योंकि वे नीति संबंधी मामलों पर निदेशों और केंद्रीय सरकार के आदेशों द्वारा आबद्ध हैं। न्यासी बोर्ड के वर्तमान माडल पर न्यासियों के विविध प्रतिनिधित्व के कारण प्रचालनात्मक निर्बंधन हैं। प्राइवेट पत्तनों के वर्धन और विकास के कारण महापत्तन ऐसे परिवर्तनों को कार्यान्वित करने में, जो विकासशील बाजार स्थितियों में प्रतिस्पर्धा के लिए महापत्तनों के सहायक हों, तीव्र प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। टैरिफ प्राधिकरण द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन महापत्तनों में टैरिफ का विनियमन और केंद्रीय सरकार द्वारा उनका प्रशासनिक नियंत्रण, उनके वर्धन और विकास में रुकावट डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं।

3. पूर्वोक्त दृष्टिकोण से तथा महापत्तनों को अधिक स्वायत्ता और सुनम्यता प्रदान करने के लिए और उनके प्रबंध का व्यवसायीकरण करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरसित किया जाना और उसके स्थान पर एक नए विधान अर्थात् महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रस्तावित महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं, अर्थात् :-

(i) प्रत्येक महापत्तन के लिए न्यासी बोर्ड के स्थान पर पत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करना ;

(ii) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण के लिए बोर्ड में -- एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, (क) संबंधित राज्य सरकार, जिसमें महापत्तन स्थित है ; (ख) रेल मंत्रालय ; (ग) रक्षा मंत्रालय ; और (घ) सीमाशुल्क, राजस्व विभाग, प्रत्येक से एक सदस्य, न्यूनतम तीन और चार से अनधिक स्वतंत्र सदस्य, कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सम्मिलित होंगे ;

(iii) पत्तन प्राधिकरण बोर्ड को निम्नलिखित के लिए समर्थ बनाना--

(क) अपनी संपत्ति, आस्तियों और निधियों का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह ठीक समझे, उस महापत्तन के फायदे के लिए उपयोग करना ;

(ख) प्रस्तावित विधान के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक कोई भी संविदा करना और उसका पालन करना ;

(ग) महापत्तन के प्रचालनों, विकास और योजना निर्माण के प्रयोजनों के लिए विनियम बनाना ;

(घ) आस्तियों और महापत्तन पर उपलब्ध सेवाओं के लिए दरों के मापमान विरचित करना ;

(ङ) ऐसे माल पर धारणाधिकार का दावा करना और उसे तब तक अभिगृहीत और निरुद्ध करना, जब तक ऐसी दरों और किरायों का पूर्णतया संदाय नहीं कर दिया जाता है ;

(iv) पत्तन प्राधिकरण बोर्ड को, ऐसे पत्तन प्राधिकरण के पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए, ऋण जुटाने और प्रतिभूतियां जारी करने के लिए सशक्त करना ;

(v) केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के लिए सशक्त करना--

(क) पत्तन प्राधिकरण के कार्यों का सर्वेक्षण या परीक्षा करने का आदेश देना ;

(ख) पत्तन प्राधिकरण की लागत पर उसके कार्यों को प्रत्यावर्तित करना और उन्हें पूरा करना ;

(ग) कतिपय परिस्थितियों में पत्तन प्राधिकरण के प्रबंध का कार्यभार संभालना ;

(घ) कतिपय विनिर्दिष्ट जलयानों को राष्ट्र के हित या सुरक्षा के लिए या गंभीर आपातस्थिति के कारण पत्तन आस्तियों के उपयोग की बाध्यता से ब्छूट देना ; और

(ङ) प्रत्येक पत्तन प्राधिकरण को निदेश जारी करना ;

(vi) महापत्तनों, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी ग्राहियों और आबद्ध उपयोक्ताओं के मध्य विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायनिर्णायिक बोर्ड का गठन करना। इस न्यायनिर्णायिक बोर्ड में एक पीठासीन अधिकारी और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं ; और

- (vii) पल्लन सीमाओं के भीतर निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उपायों के लिए उपबंध करना ।
5. खंडों पर टिप्पणों में विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है ।
6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 दिसंबर, 2016

नितिन गडकरी

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है तथा यह केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने के संबंध में तारीख नियत करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 2—इस खंड में प्रस्तावित विधान में उपयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं।

खंड 3—यह खंड महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के गठन और उसकी संरचना के उपबंधों को अधिकथित करने के लिए है। बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और (क) उस राज्य सरकार जिसमें महापत्तन स्थित है; (ख) रेल मंत्रालय; (ग) रक्षा मंत्रालय; और (घ) राजस्व विभाग के सीमाशुल्क प्रत्येक में से एक सदस्य न्यूनतम तीन और चार से अनधिक स्वतंत्र सदस्यों, जिसमें एक सदस्य कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करेगा और एक सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, से मिलकर बनेगा।

खंड 4—यह खंड बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, अनुभव और नियुक्ति की रीति से संबंधित उपबंधों को उपबंधित करने के लिए है।

खंड 5—यह खंड उन परिस्थितियों को अधिकथित करने के लिए है जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

खंड 6—यह खंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि को अधिकथित करने के लिए है।

खंड 7—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड के सदस्य अपने ऐसे हितों का, जिससे बोर्ड में उनके शासकीय कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, का प्रकटन करेंगे।

खंड 8—यह खंड उस प्रक्रिया और रीति को उपबंधित करने के लिए है जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद का त्याग कर सकेंगे।

खंड 9—यह खंड उन परिस्थितियों को अधिकथित करने के लिए है जिनके अधीन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा।

खंड 10—यह खंड धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों को संदेय फीस और मानदेय से संबंधित है।

खंड 11—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को महापत्तन प्राधिकरण के कार्यों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त महापत्तन प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों पर कार्यपालक प्रशासन तथा बोर्ड के लेखाओं और अभिलेखों से संबंधित विषयों के संबंध में अधीक्षण और नियंत्रण का निर्वहन करेगा।

खंड 12—यह खंड उस प्रक्रिया और रीति का उपबंध करने के लिए है जिसमें बोर्ड की बैठकों का संचालन किया जाएगा।

खंड 13—यह खंड बोर्ड की समितियों को नियुक्त करने और ऐसी समितियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की शक्ति को अधिकथित करने के लिए है।

खंड 14—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, (क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड पर अधिरोपित ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जिनका उपयोग या निष्पादन अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकेगा; और (ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अध्यक्ष पर अधिरोपित ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को जिनका उपयोग या निष्पादन उपाध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा तथा उन शर्तों और निर्बंधन, यदि कोई हैं जिनके अधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का उपयोग और निर्वहन किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

खंड 15—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड में कोई रिक्ति, वृद्धि या उसके गठन में कोई अनियमितता या सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी।

खंड 16—यह खंड अन्य बातों के साथ महापत्तन प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों करने के लिए सशक्त सुसंगत प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है।

खंड 17—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के कर्मचारियों की उनके पदनाम और कर्मचारियों के ग्रेड और वेतन, फीस तथा भत्तों जिनका उनको संदत्त किए जाना प्रस्तावित है, इंगित करते हुए सूची तैयार करेगा और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

खंड 18—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि पत्तन प्राधिकरण बोर्ड को महापत्तन न्यासी बोर्ड का उत्तरवर्ती समझा जाएगा और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड के अधीन सभी आस्तियां, संविदाएं, बाध्यताएं, दायित्व और सेवा कर रहे सभी कर्मचारी प्रस्तावित विधान के अधीन गठित महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे।

खंड 19—यह खंड बोर्ड द्वारा संपत्ति, आस्तियों आदि के उपयोग से संबंधित उपबंधों को अधिकथित करने के लिए है। यह खंड यह और उपबंधित करने के लिए है कि भूमि या स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए की जाने वाली संविदा या इंतजाम या पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति का चालीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टा और खंड 22 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए बीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा। यह खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि या स्थावर संपत्ति के पट्टे की अवधि ऐसी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अधीन होगी।

खंड 20—यह खंड बोर्ड द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन प्रतिकर के संदाय द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अर्जन की प्रक्रिया को अधिकथित करने के लिए है।

खंड 21—यह खंड बोर्ड को प्रस्तावित विधान के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए संविदाएं करने के लिए सशक्त करने के लिए है। यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि संविदाएं बोर्ड की और से अध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएंगी।

खंड 22—यह खंड बोर्ड को महापत्तन की योजना और विकास के लिए विभिन्न विनियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है और ऐसे विनियम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं होंगे।

खंड 23—यह खंड बोर्ड को महापत्तनों पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों के परिमाण को नियत करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि ऐसी दरों आदि का नियतन और कार्यान्वयन, (क) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा; (ख) बोर्ड या केंद्रीय सरकार द्वारा पहले से ही दी गई पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं को लागू नहीं होगा; (ग) इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या निदेशों के अल्पीकरण में नहीं होगा; (घ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों से असंगत नहीं होगा; और (ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगा।

खंड 24—यह खंड बोर्ड को उन मालों पर धारणाधिकार के लिए सशक्त करने के लिए है जिनके संबंध में कोई फीस या भाटक उद्ग्रहणीय है और प्रस्तावित विधान के अधीन बोर्ड को देय है। यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड को ऐसे मालों को तब तक निरुद्ध रखने की शक्तियां होंगी जब तक बकाया फीस या दर का बोर्ड को पूर्णतया संदाय नहीं कर दिया जाता है।

खंड 25—यह खंड पोत स्वामी के मालभाड़े और अन्य प्रभागों पर धारणाधिकार से संबंधित है तथा यह उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी जलयान का मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे जलयान से उतारने के समय या उससे पूर्व या किसी पत्तन आस्ति पर बोर्ड के अधिभोग में या उससे संबंधित मालों के लिए ऐसे बोर्ड को लिखित में सूचना देता है कि ऐसी सूचना में वर्णित की जाने वाली रकम के लिए ऐसे माल पोत स्वामी को मालभाड़ा या अन्य प्रभागों के संदेय की शर्त के अधीन धारणाधिकार पर रखा जाना है तो ऐसे माल ऐसी रकम के लिए ऐसे धारणाधिकार के अधीन बने रहेंगे।

खंड 26—यह खंड उन परिस्थितियों को अधिकथित करने के लिए है जिनके अधीन बोर्ड उन मालों का विक्रय कर सकेगा जो महापत्तन पर उतारने के पश्चात् उसकी अभिरक्षा में आ गई है या रखी गई है तथा यह बोर्ड को ऐसे मालों के विक्रय से आगत को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150 के अधीन उपदर्शित रीति में उपयोग करने के लिए भी सशक्त करने के लिए है।

खंड 27—यह खंड बोर्ड को पत्तन सेमाओं के भीतर अवसंरचना के विकास के संबंध में विनिर्दिष्ट महायोजना सृजित करने के लिए सशक्त करने के लिए है। उक्त महायोजना किसी स्थानीय या राज्य सरकार के विनियमों से स्वतंत्र होगी।

खंड 28—यह खंड जलयान के करस्थम् से दरों और प्रभागों की वसूली से संबंधित है तथा बोर्ड को किसी जलयान को निरुद्ध या गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करने के लिए है जिसके संबंध में प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुसार दरों या शास्तियों का संदाय नहीं किया गया है।

खंड 29—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम के खंड 19 से खंड 28 (सिवाय खंड 25 के) के अधीन बोर्ड की किसी कार्रवाई या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी कार्रवाई या विनिश्चय के विरुद्ध न्यायनिर्णयन बोर्ड को आवेदन फाइल कर सकेगा।

खंड 30—यह खंड बोर्ड को ऋण लेने और पूंजी व्ययों तथा पत्तन प्राधिकरण की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए भारत में अवस्थित किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थान से या भारत से बाहर किसी देश में अवस्थित वित्तीय संस्थाओं से केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बोर्ड की पूंजी आरक्षितियों के 51 प्रतिशत तक पत्तन प्रतिभूतियां जारी करने के लिए, सशक्त करने के लिए है।

खंड 31—यह खंड पत्तन प्रतिभूतियों जैसे कि बोर्ड द्वारा जारी डिबेंचर, बांड और स्टाक प्रमाणपत्र पर किए जाने वाले पृष्ठांकनों से संबंधित है और यह कथन करता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पत्तन प्रतिभूति पर किया गया कोई पृष्ठांकन, जो पृष्ठांकन द्वारा अंतरणीय है, तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि उसे स्वयं प्रतिभूति के पीछे धारक के हस्ताक्षर अंतरलिखित करके निष्पादित न किया गया हो।

खंड 32—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रतिभूति का पृष्ठांकनकर्ता उसकी रकम के लिए दायी नहीं होगा और यह कथन करता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किसी पत्तन प्रतिभूति को पृष्ठांकित किया है, उसके अधीन मूलधन या ब्याज, किसी भी रूप में शोध्य किसी धन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

खंड 33—यह खंड किसी व्यक्ति को मान्यता प्रदान करने के लिए है, जिसे खंड 22 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन कोई द्वितीय या नई प्रतिभूति जारी की गई है। यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में प्रदान की गई किसी मान्यता को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जहां तक ऐसी मान्यता बोर्ड के, उसके द्वारा पत्तन प्रतिभूति के धारक के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति या ऐसी प्रतिभूति में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के बीच के संबंधों को प्रभावित नहीं करती है। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई ऐसी मान्यता उस व्यक्ति को, प्रतिभूति के अधिकारवान स्वामी के प्रति ऐसे धन के लिए, जो उसके मद्दे प्राप्त किया गया था, केवल निजी दायित्व के अधीन रहते हुए प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में हक प्रदान करेगी।

खंड 34—यह खंड ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है, जिनमें महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को, पत्तन प्रतिभूतियों के संबंध में शोध्य रकम का संदाय करने के उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाएगा।

खंड 35—यह खंड ऐसी विभिन्न प्रतिभूतियों (पत्तन प्रतिभूति से भिन्न) को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड ऋण लेने के लिए प्रतिभूत कर सकेगा।

खंड 36—यह खंड बोर्ड की, सरकार के ऋणों को उनकी शोध्य तारीख से पूर्व प्रतिसंदत्त करने की शक्ति से संबंधित है।

खंड 37—यह खंड बोर्ड द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों के, जो ऐसे ऋणों की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रतिसंदेय नहीं हैं, संबंध में बोर्ड से शोधन निधि स्थापित करने की अपेक्षा करता है। यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड से यह भी अपेक्षित है कि वह शोधन निधि के रूप में अपनी आय से पर्याप्त निधियों को अलग रखे और उन निधियों का उपयोग अपने ऋणों को चुकाने या उनका परिसमापन करने के लिए करे।

खंड 38—यह खंड यह स्पष्ट करता है कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से पूर्व महापत्तनों द्वारा लिए गए ऋण और जारी की गई प्रतिभूतियां या गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार शासित होती रहेंगी।

खंड 39—यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धनों को बोर्ड के ऐसे साधारण खातों में जमा किया जाएगा, जो उसके द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित बैंकों में साधारण रूप से खोले गए हैं।

खंड 40—यह खंड उन प्रयोजनों को अधिकथित करता है, जिनके लिए बोर्ड, उसके साधारण खातों में जमा किए गए धनों का उपयोग करेगा। यह खंड और उपबंध करता है कि इस उपबंध में बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्तों, पेंशन आदि का संदाय, बोर्ड द्वारा स्थापित किसी भविष्य या कल्याण निधि के संचालन और प्रशासन में बोर्ड द्वारा उपगत लागतें और व्यय, बोर्ड, डॉक, भांडागारों और बोर्ड की अन्य सम्पत्तियों के रख-रखाव, विकास, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी व्यय और अन्य समान व्यय सम्मिलित हैं।

खंड 41—यह खंड बोर्ड के लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है तथा वह बोर्ड से यह अपेक्षा करता है कि वह अपना बजट तथा अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करे। यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की जाएगी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित संपरीक्षित रिपोर्ट को, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष पेश किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

खंड 42—यह खंड बोर्ड से यह अपेक्षा करता है कि वह केन्द्रीय सरकार को महापत्तन के प्रशासन के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

खंड 43—यह खंड केन्द्रीय सरकार को बोर्ड के कार्यों का सर्वेक्षण या परीक्षा करने का आदेश देने हेतु सशक्त करता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे सर्वेक्षण और परीक्षा की लागत का वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसका संदाय वह अपने साधारण खाते में जमा किए गए धनों में से करेगा।

खंड 44—यह खंड केन्द्रीय सरकार की, बोर्ड द्वारा किन्हीं कार्यों को पूरा न किए जाने या कोई कार्रवाई न करने की दशा में, जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर आपातस्थिति उत्पन्न हुई है, बोर्ड की लागत पर उन कार्यों का प्रत्यावर्तन या उन्हें पूरा कराने की शक्ति से संबंधित है। यह खंड उन और परिस्थितियों के लिए उपबंध करता है, जिनके अधीन बोर्ड के करणों या लोपों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके परिणामस्वरूप कोई गंभीर आपातस्थिति उत्पन्न हुई है।

खंड 45—यह खंड उन परिस्थितियों का उपबंध करता है, जिनके अधीन केन्द्रीय सरकार बोर्ड के प्रबंध का ग्रहण कर सकेगी।

खंड 46—यह खंड केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह खंड 42, खंड 44 और खंड 45 के अधीन की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट तैयार करे और उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे।

खंड 47—यह खंड केन्द्रीय सरकार की, पत्तन आस्तियों का उपयोग करने की बाध्यता से छूट प्रदान करने के शक्ति से संबंधित है और खंड यह कथन करता है कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में या किसी गंभीर आपात स्थिति के कारण समय-समय पर किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट जलयानों या जलयानों के वर्गों को मालों या कतिपय विनिर्दिष्ट मालों या मालों के किन्हीं वर्गों को, महापत्तन में किसी स्थान पर या महापत्तन के भीतर पहुंच मार्गों पर ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के दौरान उतारने या वहन करने की अनुज्ञा दे सकेगी और ऐसा महापत्तन या महापत्तन के भीतर पहुंच मार्गों के संबंध में संबद्ध बोर्ड को ऐसे संदायों के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे, किया जाएगा।

खंड 48—यह खंड बोर्ड को इस बात के लिए निर्बंधित करता है कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अधिनियम के अधीन उसमें निहित किन्हीं आस्तियों, सम्पत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का विक्रय, अन्य संक्रामण या उन्हें निर्निहित नहीं करेगा।

खंड 49—यह खंड, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास, उसके द्वारा बोर्ड को दिए गए ऋणों या किसी अन्य प्राधिकरण को दिए गए ऐसे ऋणों, जिनका प्रतिदाय करने के लिए बोर्ड इस अधिनियम के प्रारंभ पर विधिक रूप से दायी है, के संबंध में वही उपचार और पूर्विकताएं होंगी, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन इस प्रकार लागू हैं, मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

खंड 50—यह खंड यह कथन करता है कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्न संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में जारी करे। यह खंड यह और कथन करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश दिए जाने से पूर्व बोर्ड को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा; किंतु केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में विनिश्चय कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है अथवा नहीं, अंतिम और बोर्ड पर बाध्यकर होगा।

खंड 51—यह खंड एक न्यायनिर्णायिक बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करता है, जो बोर्ड के द्वारा धारा 19 से धारा 28 (धारा 25 को छोड़कर) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई किसी कार्रवाई से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध किए जाने वाले किसी आवेदन की सुनवाई करेगा।

खंड 52—यह खंड अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध से संबंधित है और यह कथन करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

खंड 53—यह खंड कंपनी द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित है और अन्य बातों के साथ, यह कथन करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी तथा साथ ही कंपनी के कारबार संचालन के लिए उत्तरदायी था, को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंड का दायी होगा। यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति दंड के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के करण का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

खंड 54—यह खंड अपराधों के संज्ञान से संबंधित है और यह कथन करता है कि किसी मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय प्रस्तावित विधान या तद्द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

खंड 55—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों की संरक्षा से संबंधित है और यह कथन करता है कि बोर्ड या उसके किसी सदस्य या कर्मचारी के विरुद्ध, ऐसी किसी कार्रवाई, जो इस अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए किसी

नियम या विनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है या सेवा में किसी कमी के लिए या सेवाओं में ऐसी कमी के कारण किन्हीं पारिणामिक हानियों के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

खंड 56—यह खंड यह अनुबंधित करता है कि बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

खंड 57—यह खंड बोर्ड की, कतिपय व्यक्तियों को बोर्ड के परिसरों से बेदखल करने की शक्ति से संबंधित है और यह अनुबंधित करता है कि बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए या बोर्ड को उपलब्ध संविदात्मक उपचारों का अवलंब लेते हुए, बोर्ड के कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को किए गए किन्हीं परिसरों के आबंटन को रद्द कर सकेगा या बोर्ड के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो किसी पत्तन आस्ति या पत्तन की सीमाओं में किन्हीं परिसरों या क्षेत्र का अधिभोगी है, ऐसे आबंटिती या कर्मचारी या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या तैयार किए गए विनियमों के उल्लंघन में उसका अधिभोग या कब्जा रखता हो, को संबोधित करते हुए लिखित में सूचना द्वारा बेदखल कर सकेगा।

खंड 58—यह खंड बोर्ड को एक वैकल्पिक उपचार के लिए हकदार बनाता है, जिसके द्वारा वह किन्हीं दरों, नुकसानियों, व्ययों, लागतों या विक्रय की दशा में, जब विक्रय के आगम अपर्याप्त हैं, उनके बकायों या बोर्ड को इस अधिनियम या उसके अनुसरण में बनाए गए विनियमों के अधीन संदेय किन्हीं शास्तियों या उसके द्वारा वसूलनीय किसी रकम की वाद द्वारा वसूली कर सकेगा।

खंड 59—यह खंड महापत्तनों के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है और पत्तन प्राधिकरणों के बोर्ड से यह अपेक्षा करता है कि वह पत्तन की सीमाओं के भीतर अपने स्वयं के कर्मचारियों, ग्राहकों, कारबार भागीदारों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और सम्पूर्ण समाज को सामाजिक फायदे, जिनके अंतर्गत शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आवासन, आवास, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि हैं, उपलब्ध कराने के लिए अपनी निधियों का उपयोग करे।

खंड 60—यह खंड यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

खंड 61—यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

खंड 62—यह खंड यह उपबंध करता है कि अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, विनियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

खंड 63—यह खंड महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के निरसन और उक्त अधिनियम के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों की व्यावृत्ति से संबंधित है।

खंड 64—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

खंड 65—यह खंड संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व न्यासी बोर्ड के रूप में कार्यकरण करने वाला बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्यकरण करता रहेगा जब तक कि प्रस्तावित विधान के अधीन प्रत्येक महापत्तन के लिए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किंतु प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे बोर्ड के गठन पर, ऐसे गठन से पूर्व न्यासी बोर्ड में पदधारण करने वाले सदस्य, अपना पदधारण करना बंद कर देंगे।

वित्तीय ज्ञापन

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 का खंड 23 प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को निष्पादित की जाने वाली या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए और पत्तन आस्तियों तक पहुंच और उनके उपयोग के लिए दरों के परिमाण को विरचित करने के लिए सशक्त करता है;

2. विधेयक का खंड 23 बोर्ड को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बोर्ड की पूंजी आरक्षितियों के पचास प्रतिशत तक भारत में अवस्थित किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्था या भारत से बाहर किसी देश में वित्तीय संस्थाओं से पोत पत्तन प्राधिकरण की पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं के लिए ऋण लेने हेतु सशक्त करने के लिए है।

3. विधेयक का खंड 37, अन्य बातों के साथ बोर्ड से यह अपेक्षा करता है कि वह बोर्ड द्वारा लिए गए उन ऋणों, जो ऐसे ऋण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रतिसंदेय नहीं हैं, के संबंध में निक्षेप निधि स्थापित करे।

4. विधेयक का खंड 39 यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पत्तन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां पत्तन प्राधिकरण के ऐसे साधारण खाते या खातों में जमा की जाएंगी जो बोर्ड भारत सरकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय समय पर अनुसूचित बैंकों में साधारणतया खुलवा सकेगा।

5. विधेयक का खंड 40 यह अपेक्षा करता है कि साधारण खाते में जमा धनराशियां उक्त खंड में यथा उल्लिखित ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए पत्तन प्राधिकरण द्वारा उपयोजित किए जाएंगे।

6. विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई अन्य व्यय या तो आवर्ती या अनावर्ती अंतर्वर्तित नहीं हैं।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 का खंड 60 -(क) चयन समिति की संरचना और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त करने की रीति; (ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति; (ग) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी जांच को संचालित करने के लिए प्रक्रिया; (घ) धारा 10 के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय मानदेय; (ङ.) वह प्ररूप और रीति जिसमें संविदाएं धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा की जाएंगी; (च) धारा 29 के अधीन न्यायनिर्णायिक बोर्ड के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस; (छ) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन राशियों का उपयोजन करने की रीति; (ज) वे प्रयोजन जिनके लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त धनराशियां धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन उपयोजित की जाएंगी; (झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ; (ञ) धारा 51 की उपधारा (8) के अधीन न्यायनिर्णायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ट) धारा 51 की उपधारा (9) के अधीन न्यायनिर्णायिक बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; (ठ) धारा 51 की उपधारा (10) के अधीन न्यायनिर्णयन बोर्ड के अन्य कृत्य ; (ड) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन निगम सामाजिक दायित्व के लिए निधियों के उपयोग करने की रीति ; और (ड) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

(2) विधेयक का खंड 61 बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से- (क) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कारबार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ; (ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कारबार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम ; (ग) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति ; (घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन पत्तन आस्तियों का उपयोग और विकास ; (ङ.) धारा 22 के अधीन महापत्तन की योजना और विकास के प्रयोजन ; (च) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन पत्तन प्रतिभूति का प्ररूप ; (छ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम और तद्विनियम बनाए गए नियमों के उपबंधों से सुसंगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

3. वे विषय जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यौरों के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।